

क्रमांक 42130608 / 2018-19
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल 462 003
दूरभाष नं. 2552646, 2552878, फैक्स नं. 2552406,
Email ID - encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 15/03/2019

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
.....


जल संसाधन संभाग
..... (म.प्र.)

विषय :- सहायक अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

.....000.....

म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 157/1188/2018 /ब-1/चार भोपाल दिनांक 20/02/2019 की प्रति संलग्न है। पत्र में संलग्न सूची के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(संतोष मलिक)
कार्यपालन यंत्री (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15/03/2019


पृ.क्र. 42130608 / 2018-19

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभागकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।।

8
2018/3


(संतोष मलिक)
कार्यपालन यंत्री (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल



मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 157 / 1188 / 2018 / ब-1 / चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2019

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:- राहायक अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में ।

संदर्भ:- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का पत्र
NO-TM/07/GIA/D-2122 Date 31/01/2019 ।
---000:--

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पत्र में सहायक अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार एवं मुख्य शीर्षवार सूची उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रेषित है। पत्र में दिये गये लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर महालेखाकार एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

CE (S)		SE (A)
CE (AM)	2	CPO
CE (P)	2	EE (V)
S.E. (Major)	22/2	EE (B)
SE (M)	Sr. PA	SA (EOP)

18/2/19
जस्वी एस नायक)
संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक: 28 / 02 / 2019

पृष्ठा 0 क्रमांक: 158 / 1188 / 2018 / ब-1 / चार,
प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

4213
23/02/19

92
25/2/19

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मुख्य सचिव
MRD

27/2/19

क्रमांक: 498 / अ.मु.स. / म.रा.वि. / 2018
दिनांक: 21/2/19

शासन ज.स. विमान मंत्रालय
क्रमांक: 2 (3) / ए.पी.एस. / 31 / 2018
भोपाल दिनांक: 22/2/2019

Department wise Pending Utilisation Certificates, as on November 2018

Sl.No.	Major Head	Description	No. of UCs	Amount in Rs. (Crore)
1	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन	1268	8711.00
2	2408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1585	4577.27
3	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1021.62
4	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1143	748.03
5	2401	फसल कृषि-कर्म	3090	439.99
6	2216	संपदा	5	324.21
7	2217	शहरी विकास	684	321.34
8	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों का कल्याण	79	306.42
9	2425	सहकारिता	703	253.50
10	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
11	2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	657	217.45
12	2403	पशुपालन	495	201.86
13	2852	उद्योग	2987	187.07
14	2505	ग्राम रोजगार	34	158.42
15	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	93	87.72
16	2236	पोषण	9	86.65
17	3452	पर्यटन	185	81.05
18	2230	श्रम तथा रोजगार	1269	44.61
19	2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	28	23.36
20	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	6	22.94
21	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
22	2702	लघु सिंचाई	280	12.55

23	2405	मछली पालन	34
24	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	6
25	2075	विविध सामान्य सेवाएं	532
26	2055	पुलिस	12
27	2014	न्याय प्रशासन	375
28	2220	सूचना तथा प्रचार	85
29	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	30
30	4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11
31	2029	भू राजस्व	104
32	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4
33	2205	कला तथा संस्कृति	1
34	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	4



सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रधान
मध्यप्रदेश, ग्वालियर - 474002

PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A & E) - I
MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474002

दिनांक / Date: 31-01-2019

To,

The Principal Secretary (Finance)
Government of Madhya Pradesh,
Finance Department,
Vallabh Bhawan,
Bhopal-462004

पं.क्र.
दिनांक

संख्या

दिनांक

पं.क्र.

दिनांक

Subject: Outstanding Utilisation Certificates (UCs) against Grants-in-aid sanctioned by the State Government

Sir,

Kindly refer to Rule 182 of Madhya Pradesh Financial Code, a formal Utilisation Certificate (UC) about the proper utilisation of the conditional grant is to be furnished to the Principal Accountant General (A&E) by the sanctioning authority on or before 30th September of the year following that to which the Grant is related.

It is noticed that sanctions of Grant-in-aid (GIA) received from departments do not specifically indicate whether grant is conditional or unconditional and therefore the possibility of booking of unconditional grants under conditional grants cannot be ruled out. The status of outstanding UCs is given below:

Year	No. of UCs awaited	Amount (₹ in crore)
Up to 2011-12	20474	15797.54
2012-13	113	1301.52
2013-14	01	247.90
2014-15	02	401.49
2015-16	9	39.18
2016-17	02	5.15
2017-18	Nil	Nil
2018-19 (upto Nov. 2018)	05	324.21
Total	20606	18116.99

The fact of proper utilisation of funds could not be ascertained because of non-receipt of Utilisation Certificates from the users. Maximum number of UCs have become pending. Separate vouchers codes may be allotted to conditional grants and unconditional grants by the treasuries while booking the amount under GIA vouchers so that proper mapping of data may be done between treasury and AG Office. It is also noticed that data received from treasuries are booked under single code (42-007) due to which proper mapping could not be done in this office. Individual voucher codes for GIA has been allotted in VLC system by this office to segregate conditional and unconditional grants as 104 for conditional grants and 160 for unconditional grants.

"लेखा भवन", झांसी रोड, ग्वालियर - 474 002

दूरभाष : 0751-2372021, 2426452, 2322400, फ़ैक्स : 0751-2378462, ई-मेल : agaeMadhyapradesh1@cag.gov.in


"Lekha Bhawan", Jhansi Road, Gwalior - 474 002

Telephones : 0751-2372021, 2426452, 2322400, Fax : 0751-2378462, E-mail : agaeMadhyapradesh1@cag.gov.in

The amount booked under GIA in conditional grants require utilisation certificates to be produced for Audit. Department wise details of outstanding utilisation certificates as on November 2018 is enclosed. Hence, you may direct the concerned authorities to provide outstanding utilization certificates or to specify the Grant-in-Aid which are unconditional, hence do not require utilization certificates.

Enclosure: As above

Yours Sincerely,


Pr. Accountant General